आदेश 06.10.1999 की पालना में पट्टा जारी करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है। अधीनस्थ न्यायालय में नाप जोख के आंकडे भी गलत अंकित किये हुए हैं। ग्राम पंचायत मौजमाबाद द्वारा 1 माह का आक्षेप का इंतजार ना करते हुए 19 दिन बाद ही निर्णय पारित कर दिया गया। उक्त भूमि ग्राम आम जनता मुस्लिम समाज के उपयोग उपभोग की सार्वजनिक भूमि है जिस पर नमाज पढने वार त्यौहारों तथा खुशी गम के मौके पर काम मे लेते है। ग्राम पंचायत द्वारा अधिकार क्षेत्र से बाहर जाते हुए आम जनता की भूमि पर निर्णय पारित किया गया है।

अन्त में निवेदन किया गया है कि निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम पंचायत मौजमाबाद पंचायत समिति दूदू तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.10.1999 एवं उक्त आदेश के अनुसरण में जारी पट्टे को निगरानीकर्ता व आम जनता के वैधानिक हक व अधिकारों को देखते हुए निरस्त फरमाया जावे।

निगरानी के संलग्न स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राम पंचायत मौजमाबाद द्वारा मिसल संख्या 120/1999, सरपंच ग्राम पंचायत मौजमाबाद को की गई शिकायत की प्रति एवं विवादित स्थगन की फोटो प्रति पेश की है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को तलबी नोटिस जारी किये गये। गैरनिगरानीकर्ता की ओर से अधिवक्ता पेश हुए। अधिवक्ता गैर निगरानीकार ने जवाब निगरानी प्रस्तुत की। जिसमें अंकित किया गया है कि अप्रार्थी संख्या 2 को मौके की जांच कर तथा नाप कर ग्राम पचांयत में सामान्य नियम की धारा 157 (क) के अनुसार भूमि विक्रय, निर्माण शुल्क, पट्टा शुल्क वसूल कर पट्टा जारी किया गया है। दिनांक 15.01.1999 को गैर निगरानीकार संख्या 2 में आवेदन का दर्ज रजिस्टर सदन द्वारा पंच सत्यनारायण पंच मैना देवी व पंच रामसहाय को नियुक्त मौका रिपोर्ट पेश करने का निर्णय किया तथा पंचो ने मौके पर जाकर पूछताछ कर मौके पर ही नक्शा बनाया। गैर निगरानीकार संख्या 2 ने नियमानुसार भूमि विक्रय शुल्क निर्माण शुल्क व पट्टा शुल्क के कुल 275/– रूपये जमा करवाये है जिनकी रसीद की फोटोप्रति जवाब स्थगन के साथ पत्रावली में प्रस्तुत कर रखी है। प्रार्थी, निगरानीकर्ता का कथन कि मौका रिपोर्ट में 20 फीट की जगह 21 फीट की अवैधानिकता दर्ज नहीं की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार आपत्ति नोटिस जारी किया गया तथा कोई आपत्ति नहीं होने पर गवाह हनुमान प्रसाद व गफूर खां के हस्ताक्षर करवाये गये। विवादित भूमि पर 2 वर्ष पूर्व ही निर्माण कार्य बंद कर दिया था। कोई आपत्ति नही होने पर विधि सम्मत पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थी की पत्नी वर्तमान में वार्डपंच है जबकि ग्राम पंचायत ने पट्टा 1999 में जारी किया था इसलिए 16 वर्ष पूर्व जारी किये गये पट्टे पर वर्तमान महिला पंच की कोई मिलिभगत होने का प्रश्न ही नहीं है।

प्रार्थी की निगरानी मनगढंत तथ्यों पर प्रस्तुत होने से सरसरी तौर पर ही निरस्त फरमायी जावे एवं ग्राम पंचायत मौजमाबाद द्वारा दिया गया पट्टा 06.10.1999 बहाल रखा जावे।

तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। दौराने बहस अधिवक्ता निगरानीकार एवं गैर निगरानीकार ने निगरानी एवं जवाब निगरानी में अंकित तथ्यों का वर्णन किया।

हमने पत्रावली में निगरानीकार द्वारा बहस में दिये गये तर्कों तथा गैर निगरानीकार द्वारा अपने पक्ष में प्रस्तुत की गई दलीलों पर गौर किया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा 1999 में जारी किया गया था जिसके लिए मौका निरीक्षण वार्ड पंचों द्वारा करवाया गया। गैरनिगरानीकार का यह भी कथन है कि उसके द्वारा मौके पर कोई निर्माण कार्य नही करवाया जा रहा है। पंचों द्वारा मौके पर जाकर जो नक्शा बनाया गया है, उसमें भूखण्ड की दिशाएं एवं स्थिति को दर्शाया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा तत्समय जारी करवाये गये नोटिस पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये पट्टे को चुनौती देने का काई ठोस आधार प्रमाणित नहीं है। निगरानीकार अपनी निगरानी में अंकित तथ्यों को साबित करने में असफल रहा है। अतः निगरानी का कोई ठोस कारण ना होने एवं निगरानी सारहीन होने के कारण अस्वीकार की जाती है।

(राजेन्द्र सिंह कुशवाह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(तृतीय) जयपुर
एवं जिला मजिस्ट्रेट, तृतीय, जयपुर

Scanned by CamScanner